

बैंक में अपना ग्राहक जाने (केवाईसी) मापदंडों एवम् धन-शुद्धि (मुद्राशुद्धि) निरोधी मानकों के नीतिगत ढाँचे का सारांश

सिडबी ने, मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, अपना ग्राहक जाने (केवाईसी) विषय पर नीति-बनाई हैं, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल किये गये हैं:

- ग्राहक स्वीकृति नीति
- ग्राहक पहचान प्रक्रिया
- लेनदेन की निगरानी, तथा
- जोखिम प्रबंध

➤ ग्राहक स्वीकृति नीति

- अनाम या नकली / बेनामी नाम (नामों) में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में कोई खाता नहीं खोला जायेगा / कोई बैंकिंग संबंध शुरू नहीं किया जायेगा, जिसका संबंध आतंकवादियों / आतंकवादी संगठन (संगठनों) से हो।
- बैंक ऐसा कोई खाता न तो खोलेगा न ही कोई मौजूदा खाता बंद करेगा, जिसके बारे में वह ग्राहक संबंधी विधिसम्मत क्रियाविधि का पालन करने में, अर्थात् ग्राहक के असहयोग या बैंक को प्रस्तुत आंकड़ों / सूचनाओं के अविश्वसनीय होने के कारण उसकी पहचान का सत्यापन और / या अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त करने में असमर्थ होगा।
- ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने से पूर्व बैंक पूरी सावधानी बरतेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक की पहचान ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति या प्रतिबंधित संस्था, आदि से मिलती नहीं है।

➤ ग्राहक पहचान प्रक्रिया

- बैंक ने विस्तृत ग्राहक पहचान प्रक्रिया लागू की है और उसके अंतर्गत ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति, जिस व्यवसाय से संलग्न है, उस व्यवसाय - गतिविधि का स्वरूप तथा स्थान (पते), आदि सहित उसके ग्राहकों या संबंधी संस्थाओं से दस्तावेज़ प्राप्त करेगा।

➤ **लेनदेन की निगरानी**

- ग्राहक / खाते की निगरानी जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखकर की जायेगी।
- ग्राहकों को किये गये सभी संवितरण तथा ग्राहकों से प्राप्त सभी राशियां रेखांकित चेकों / मांगड्राफ्टों के रूप में और उचित बैंकिंग माध्यम, जैसे खाते में अंतरण के माध्यम से की जायेगी।

➤ **जोखिम प्रबंध**

- प्रत्येक मामले के जोखिम बोध के आधार पर, ग्राहकों को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार उनका प्रबंध किया जाता है।

➤ **सूचनाओं के रखरखाव / लेनदेन कि रिपोर्टिंग की प्रक्रिया**

- उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सिडबी अपने ग्राहकों के साथ किये गये लेनदेनों से सम्बंधित सूचनाएं / अभिलेखों का रखरखाव करेगा।
- अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी संदिग्ध लेनदेनों की सूचना देगा, संदिग्ध लेनदेन के वर्गीकरण के स्वरूप को जानने के लिये, कृपया वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईयू - आईएनडी), वित्तीय मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट में दी गयी संदिग्ध लेनदेन की परिभाषा का संदर्भ लें।

➤ **रिकार्ड का परीक्षण**

- ग्राहक के संबंध में केवाईसी से जुडी सूचनाएं / अभिलेख, बैंक और ग्राहक के बीच लेनदेन समाप्त होने की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष तक परिरक्षित रखी जायेगी।

➤ **केवाईसी के अनुपालन के लिये प्रधान अधिकारी**

- महाप्रबंधक, अनुपालन उद्-भाग, लखनऊ प्रधान कार्यालय को उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी लेनदेनों की निगरानी एवं रिपोर्टिंग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान के लिये सिडबी की ओर से प्रधान अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उक्त *अपना ग्राहक जानें (केवाईसी)* कार्य के लिये उत्तरदायी होंगे।

**SUMMARISED POLICY FRAMEWORK ON
KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) NORMS AND
ANTI MONEY LAUNDERING (AML) STANDARDS OF THE BANK**

SIDBI has framed the KYC policies, based mainly on RBI's Master Directions / guidelines, incorporating the following key elements :-

- Customer Acceptance Policy
- Customer Identification Procedures; and
- Monitoring of Transactions
- Risk Management

➤ **Customer Acceptance Policy**

- The Bank would not open an account and / or initiate banking relationship in anonymous or fictitious / benami name(s) / persons having connections with terrorists / terrorist organisation(s).
- The Bank would not open new account or close an existing account where it is unable to apply appropriate customer due diligence measures, i.e., verify the identity and / or obtain documents required due to non-cooperation of the customer or non-reliability of the data / information furnished by the customer to the Bank.
- The Bank would exercise due care before admitting new borrowers so as to ensure that the identity of the customer does not match with any person with known criminal background or with banned entities.

➤ **Customer Identification Procedures (CIP)**

- The Bank has put in place a detailed Customer Identification Procedure and would obtain documents relating to customers identity, his social / financial status, nature of business activity engaged in and his clients or associates including their location, etc.

➤ **Monitoring of Transactions**

- Monitoring of transactions would be based on the risk profile of the customer / account.
- All the disbursements made to the customers and all the receipts from the customers would be by way of crossed cheques /demand drafts and through proper Banking channels such as account transfers only.

➤ **Risk Management**

- Customers are classified into different categories based on the risk perception in each case and managed accordingly.

➤ **Procedure for maintaining information / reporting of transactions**

- SIDBI would maintain information and records in respect of transactions with its customers in accordance with the laid down procedure under the aforesaid guidelines.
- The Bank would, inter alia, report all 'suspicious transactions' to the authority as specified under the guidelines. As to the nature of classification of a transaction as suspicious, a reference is invited to the meaning of Suspicious Transaction as contained in the website of the Financial Intelligence Unit-India [FIU-IND], Ministry of Finance, Govt.

➤ **Retention of records**

- The Bank would preserve the KYC information / records pertaining to borrowers for a period of at least **5 years** from the date of cessation of transaction between the Bank and the customer.

➤ **Principal Officer for KYC compliance**

- The General Manager, Compliance Vertical, Lucknow Head Office has been appointed as Principal Officer of SIDBI, who is responsible for monitoring and reporting of all transaction and sharing of information as required under the captioned policy guidelines on KYC.
